न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—361/2016/225 (2016/000361)

1. मुमताज खातुन पत्नि स्व0 पहलवान खां,
2. सरताज अली पुत्र स्व0 पहलवानखां,
3. गुलाम मुर्रतजा खां पुत्र स्व0 पहलवान खां,
4. मोहम्मद ताहीर खां पुत्र स्व0 पहलवान खां,
5. मुमशाद खातून पुत्री स्व0 पहलवान खां,
6. ईरशाद खातून पुत्री स्व0 पहलवान खां,
   समस्त जाति पठान निवासी ग्राम गगवाना, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. गुलाम मुस्तफा पुत्र स्व0 नसीब खां,
2. मोहम्मद तालीब पुत्र स्व0 नसीब खां,
3. दिलशाद खातून पुत्री स्व0 नसीब खां,
4. शमशाद खातून पुत्री स्व0 नसीब खां,
5. सरियत खातून पुत्री स्व0 नसीब खां,
6. तकसीम खातून पुत्री स्व0 नसीब खां,
   समस्त जाति पठान, नि0 ग्राम गगवाना, तह0 व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
8. हल्का पटवारी ग्राम चान्द्रियावास, तह0 व जिला अजमेर ।
9. उप पंजीयक प्रथम, अजमेर ।
10. दौलत खातून पुत्री नसीब खां, जाति पठान, नि0 गगवाना, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

11. गुलाम मुत्लीब खां पुत्र स्व0 पहलवान खां, जाति पठान, नि0 गगवाना, तहसील व जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 5.7.2016 अंतर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 36/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मो0 इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. रेस्पोडेंट संख्या 10 एवं 11 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—26.11.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के निर्णय दिनांक 5.7.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित

आराजी ग्राम चान्दियावास, तह0 अजमेर में स्थित है जिसके जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 के खसरा संख्या 317 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा थे जिसके वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 478 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 479 रकबा 14 बीधा 1 बिस्वा कायम किये गये तथा आधारभूत संवत् 2069–72 के खसरा नंबर 361 रकबा 1.9 है0, खसरा नंबर 359/1383 रकबा 0.29 है0 तथा खसरा नंबर 360 रकबा 1.96 है0 तथ्ज्ञा 359/1382 रकबा 0.32 है0 कायम किये गये । विवादित आराजियात को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज नसीब खां पुत्र मेन्दू खां व पहलवान खां पुत्र मेन्दू खां ने जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 2.5.1969 को रिकार्डेड खातेदार उगमा पुत्र रूघनाथ से खरीद किया था । नसीब खां पुत्र मेन्दू खां जो प्रार्थीगण के पिता है की मृत्यु के बाद नामांतकरण संख्या 318 दिनांक 10.6.2009 को दर्ज किया गया लेकिन वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में पूर्व खसरा नंबर 317 रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा के नवीन दो नंबर बनाये गये जो 478 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा व 479 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा थे जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण शामलाती रूप से काश्त करते आ रहे है लेकिन भू–प्रबंध विभाग के द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 478 व 479 के चार नवीन खसरा नंबर बनाये गये जिसमें सड़क से लगती हुई आराजी को अप्रार्थीगण के नाम दिखाया गया तथा प्रार्थीगण को उनके खेतों के पीछे दर्शाया गया जो गलत है । पक्षकारान के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 5.7.2016 को पारित कर पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7.4.2014 को ताफैसला वाद कन्फर्म करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय दिनांक 5.7.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अपीलांटस एवं रेस्पो0 के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि पत्रावली दिना।क 4.6.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखी गई और आगामी पेशी दिनांक 5.8.2016 नियत कर दी गई जबकि दोनों ही लोक अदालत की पेशियों के अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किये गये । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का कन्फर्म करने के आदेश पारित किये जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस व तरतीबी रेस्पो0 खसरा नंबर 359/1382 रकबा 0.32 है0 एवं खसरा नंबर 360 रकबा 1.96 है0 के रिकार्डेड खातेदार है तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 खसरा नंबर 361 रकबा 1.98 है0 तथा खसरा नंबर 359/1383 रकबा 0.29 है0 के रिकार्डेड खातेदार है किन्तु अधी0न्याया0 में गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि विवादित भूमि सहखातेदारी की थी तो भी एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली अपूर्ण थी, ना तो अन्य पक्षकारों की तलबी की गई और ना ही किसी का जवाब ही प्रस्तुत हुआ था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने में भारी त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित आवश्यक बिन्दुओं प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू को

निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5.7.2016 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि पक्षकारान की शामलाती खाते की है जिसका आज दिवस तक पक्षकारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने गलत तरीके से सड़क से लगती हुई भूमि अपीलांटस के नाम दर्शायी गई तथा रेस्पो0 को अपीलांटस के खेतों के पीछे दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण इंद्राज है । इस त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड़ में अपीलांटस रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को परेशान कर रहे है । भू–प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय के आदेशों के इस प्रकार का इंद्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने वाद के निर्णय तक अपीलांटस को अस्थायी निषेाधज्ञा से पाबंद किया है जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में निर्णित किया है जिसकी सूचना अपीलांटस को नहीं दी जाकर एकतरफा में अधी0न्याया0 ने पूर्व में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने के अविधिक आदेश पारित किये है । इस संबंध मे अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 7.4.2014 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रकरण मे आगामी पेशी दिनांक 29.5.2014 नियत की। तत्पश्चात् पत्रावली मेमं लगभग 8 पेशियों तक तारीख तब्दील की जाती रही । दिनांक 14.7.2015 की आदेशिका में पत्रावली लोक अदालत कैम्प गेगल में रखे जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी करने के आदेश दिये जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.7.2015 नियत की गई किन्तु कैम्प कोर्ट के नोटिस पक्षकारान को जारी किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । तत्पश्चात् पत्रावली में तारीख तब्दील की जाकर दिनाक 4.6.2016 को पत्रावली लोक अदालत में पेश होने की आदेशिका लिखी हुई है तथा आगामी तारीख दिनांक 5.8.2016 नियत की गई किन्तु पत्रावली लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई आदेश उपलब्ध नहीं है तथा ना ही पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने की साक्ष्य ही उपलब्ध है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली नियत दिनांक 5.8.2016 को पेश न होकर दिनांक 5.7.2016 को लोक अदालत कैम्प गेगल में रखी जाकर एकतरफा में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किये जाने के आदेश दिनांक 5.7.2016 को पारित किये गये है । उक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 का आदेश मात्र चार–पांच लाईनों में जिसमें धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक घटक यथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया गया है । इसके अभाव मेंू अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकतरफा आदेश दिनांक 5.7.2016 को विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का

निर्णय दिनांक 5.7.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2016 को अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0.न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर